सं. ए.बी. 11013/11/2001-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर।2, 2002

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- कार्य-स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु गठित शिकायत समिति की रिपोर्ट-अनुवर्ती कार्रवाई ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के फरवरी 13, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/10/97 -स्था (क) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके अन्तर्गत विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य (जे.टी. 1997 (7)एस.सी. 384) के मामले में उच्च्तम न्यायालय द्वारा कार्य स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में निर्धारित किए गए दिशा-निर्देश तथा मानदंड सभी संबंधित पक्षों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किए गए थे ।

2. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ , उत्पीड़न की शिकार हुई महिलाओं की शिकायतों के निबटान हेतु नियोक्ता संगठन में शिकायत समिति गठित किए जाने का प्रावधान है । इस संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है कि शिकायत समिति द्वारा की जाने वाली जाँच का दर्जा क्या होगा ? यह स्पष्ट किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उत्पीड़न की शिकार महिला के यौन उत्पीड़न के संबंध में गठित की गई शिकायत समिति के निष्कर्ष/निर्णय, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सरकारी कर्मचारी (कर्मचारियों) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ किए जाने हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी पर बाध्यकारी होंगे । शिकायत समिति की रिपोर्ट, अभियुक्त सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध प्रारंभिक रिपोर्ट के रूप में मानी जाएगी ।

3. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में लाएँ और यह सुनिश्चित करें कि शिकायत समिति की रिपोर्ट पर बिना किसी विलंब के आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ।

प्रतिभा मोहन

(श्रीमती प्रतिभा मोहन)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, 3-11-02